भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1074

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना

अधिवक्ताओं के लिए टोल कर में छूट

1074. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिवक्ताओं को निःशुल्क फास्टैग प्रदान करने या टोल शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए किसी योजना/प्रस्ताव पर विचार कर रही है, क्योंकि उन्हें अपने पेशे के हिस्से के रूप में नियमित रूप से एक से अधिक न्यायालय, जिला/राज्य/उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य का आकलन किया है कि उक्त सुविधा से कानूनी प्रक्रिया में समय की बचत होने, मामले की तत्काल पैरवी करने और कानूनी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर भारतीय बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल और अधिवक्ताओं के संघों से परामर्श किया गया है; और

(घ) देश में, विशेषकर दौसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान में निकट भविष्य में अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन हेतु टोल छूट की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ठोस कार्ययोजना क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) अधिवक्ताओं को छूट प्रदान करने अथवा उन्हें छूटप्राप्त फास्टैग उपलब्ध कराने का विषय वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 तथा संबंधित रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के प्रयोग हेतु शुल्क प्लाजा पर प्रयोगकर्ता शुल्क वसूल किया जाता है, जो देशभर में संबंधित वाहन श्रेणी के लिए समान रूप से लागू है।

तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुरूप देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय एवं नियमित प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रयोगकर्ता शुल्क में रियायत तथा मासिक पास संबंधी विभिन्न प्रावधान पहले से ही उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों एवं वैन के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक पास की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जो 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी हो गई है। वार्षिक पास योजना ₹3000/- के भुगतान पर सक्रिय की जाएगी तथा इसके अंतर्गत गैर-वाणिज्यिक कारों/जीपों/वैन को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुल्क प्लाजा पर एक वर्ष की अवधि अथवा अधिकतम 200 शुल्क प्लाजा क्रॉसिंग, जो भी पहले हो, तक यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।

*****